

3/5/18

चंडन/संख्या

पत्रावली ज्ञान शाला के रूप की 2 नया
 ट्रापिक डार 2018 के केम्य वाइडर में
 पेश हुई। परिवार को लुना गया।
 पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया
 गया। पत्रावली के साथ पेश समस्त
 दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन
 कले से संपन्न होता है कि वाइडर
 कार्या का सक्षम न्यायालय द्वारा
 निर्णय एवं प्रक्रिया के अनुसार व प्रक्रिया
 की गई। यदि प्रक्रिया इस निर्णय
 के अनुसार नहीं तो सक्षम न्यायालय
 में अपील करने का विकल्प पुनः
 इस न्यायालय में अपील पेश किया

शिवराम
 शिवराम
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बाछडा

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

दिनांक 27.9.05 को दिखी जारी जर्जी थी
वि.पार्थी द्वारा वर्तमान का नक्शा द्रैस
पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता है।
कि पूर्व जारी निर्माण व दिखी की पालना
नहीं हुई। तथा नक्शों में नरमीभ नहीं
गर्द है। यदि नरमीभ ही को हुई नहो
अतः द्वारा 136 RLR Act का उकल
ही नहीं बनता है। जब 136 RLR Act का
उकल ही बनता है तो 111, 128 RLR Act
का स्वतः ही उकल नहीं होता है यदि
न्यायालय द्वारा जारी पूर्व में दिखी से
कोई पक्ष असंतुष्ट होता उसको सक्षम
न्यायालय में अपील की जानी थी।
पुनः इस न्यायालय में अतः द्वारा
111, 128 व 136 RLR Act में अपील पेश
करना न्याय संगत नहीं है। अतः पार्थी
का अपील चलने श्रेष्ठ नहोरे के
कारण खारिज किया जाता है। पश्चात्
फैसल शुमार होकर दाखिल रफ्तार है।

सहायक कलक्टर
(SDO) सीहटन